न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 61/2018 दायरा दिनांक : 10.04.2018

उनवान

1– तेजनारायण आत्मज जयराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी, कुण्डला हाल मुकाम पचपहाड तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राज0

2– मनोहरला आत्मज जयराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी, कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

3– कृष्णाबाई पुत्री जयराम, पत्नि परमेश्वर जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, हाल मुकाम निपानिया राजगुरू तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश

4– पार्वतीबाई पुत्री जयराम, बैवा रामचन्द्र, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, हाल मुकाम खजूरी का खेडा तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश

5– गोविन्द आत्मज हेमशंकर, जाति ब्राहम्ण ा, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

6– विशाल आत्मज हेमशंकर, आत्मज हेमशंकर, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

7– मधुबाला पुत्री हेमशंकर, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

8– शकुन्तलाबाई बैवा हेमशंकर, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– कन्हैयालाल आत्मज जयराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

2– बाबूलाल आत्मज गणेशराम, जाति तेली, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

3– श्रीमान तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 62/2018 दायरा दिनांक : 10.04.2018

उनवान

1– तेजनारायण आत्मज जयराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी, कुण्डला हाल मुकाम पचपहाड तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राज0

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

2– मनोहरला आत्मज जयराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी, कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

3– कृष्णाबाई पुत्री जयराम, पत्नि परमेश्वर जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, हाल मुकाम निपानिया राजगुरू तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश

4– पार्वतीबाई पुत्री जयराम, बैवा रामचन्द्र, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, हाल मुकाम खजूरी का खेडा तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश

5– गोविन्द आत्मज हेमशंकर, जाति ब्राहम्ण ा, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

6– विशाल आत्मज हेमशंकर, आत्मज हेमशंकर, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

7– मधुबाला पुत्री हेमशंकर, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

8– शकुन्तलाबाई बैवा हेमशंकर, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– कन्हैयालाल आत्मज जयराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

2– बाबूलाल आत्मज गणेशराम, जाति तेली, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

3– श्रीमान तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री विनोद व्यास अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.12.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – दावा/2014 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 28.10.2015 एवं निर्णय व फाइनल डिकी दिनांक 18–05–16 तथा संशोधित फाइनल डिकी दिनांक 30–11–2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलं संख्या 62/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रतिप्रार्थी नं 1/ वादी द्वारा एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 183 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के अन्तर्गत अपीलार्थीगण विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगधार के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से रेकार्ड के आधार पर दिनांक 28.10.2015 को निस्तारित कर आदेश दिया कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा

ग्राम कुण्डला तहसील गंगधार की जमाबंदी सवंत 2068 से 2071 के खाता संख्या 23 कुल किता 5 कुल रकबा 2.08 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 8 व प्रतिवादी नम्बर 10 को प्रत्येक को 1/7, 1/7 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 8 व प्रतिवादी नंबर 10 के मध्य अच्छी से अच्छी व बूरी से बुरी के आधार पर किए जाने के आदेश दिए जाते है। बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार गंगधार से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत मंगवाए गये। प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसके उपरान्त पुनः आदेश दिनांक 18-05-16 में रेकार्ड अनुसार प्रत्येक हिस्सेदारों को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलार्थीगण निम्न आधारों पर यह अपील पेश की गई –

1. निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक दिनांक 28.10.2015 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 18.05.2016 कानून के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

2. निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक दिनांक 28.10.2015 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 18.05.2016 प्राकृतिक न्याय के सिद्वात के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर उपस्थित दस्तावेजों का उचित मुल्याकंन करने में बहुत बडी भूल की है। जिससे निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.10.2015 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 18.05.2016 निरस्तनीय है।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के बिना सूचना दिये बिना अपीलार्थीगण की उपस्थिति में राजस्व लोक अदालत कुण्डला मे पुनः आदेश दिनांक 18.05.16 पारित करने में बडी भूल की है। जिसमें अपीलार्थी संख्या 4 पार्वतीबाई पुत्री जयराम, मृतक जयरामजी की उत्तराधिकारी नही मानकर बहुत बडी भूल की है।

5. भवरबाई पत्नि जयराम का निधन हो जाने से ना तो उनके वारिसानों को पक्षकार बनाया गया ना ही भवरबाई के हिस्से के बारे में उचित आदेश पारित किये।

6. अधीनस्थ न्यायालय कब्जे के सम्बंध में बिना किसी प्रमाण के मात्र प्रतिप्रार्थी नं.1/वादी के कथन पर विश्वास कर बहुत बडी भूल की है।

7. प्रतिप्रार्थी नं.1/वादी द्वारा प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.15 जारी होने के बावजूद भी वादग्रस्त आराजी में से पुर्व से दर्ज 1/5 हिस्से को प्रतिप्रार्थी नं.2 बाबूलाल आत्मज गणेशराम को बिना किसी कब्जे के जर्ये रजिस्टर्ड दिनांक 03-08-16 को बैचान कर दिया तथा प्रतिप्रार्थी नं.2 का नाम दौराने वाद बिना में पक्षकार बनाये नामान्तरण सं. 897 निर्णय दिनांक 23.12.2016 से खाते मे दर्ज होने से प्रतिप्रार्थी नं. 2 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

8. हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी को निर्णय की जानकारी देने पर अपीलार्थीगण की जानकारी में आने पर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.15 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 18.05.16 को प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की है अपीलार्थी को जानकारी नही होने से समय पर अपील प्रस्तुत नही कर सके अपीलार्थी की भूल सदभावना पर आधारित है।

अपील संख्या 61/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रतिप्रार्थी नं 1/ वादी द्वारा एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 183 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के अन्तर्गत अपीलार्थीगण विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगधार के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से रेकार्ड के आधार पर दिनांक 28.10.2015 को निस्तारित कर आदेश दिया कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कुण्डला तहसील गंगधार की जमाबंदी सवंत 2068 से 2071 के खाता संख्या 23 कुल किता 5 कुल रकबा 2.08 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 8 व प्रतिवादी नम्बर 10 को प्रत्येक को 1/7, 1/7 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 8 व प्रतिवादी नंबर 10 के मध्य अच्छी से अच्छी व बूरी से बुरी के आधार पर किए जाने के आदेश दिए जाते है। बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार गंगधार से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत मंगवाए गये। प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसके उपरान्त अंतिम आदेश एवं डिक्री दिनांक 18–05–16 में रेकार्ड अनुसार प्रत्येक हिस्सेदारों को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया तथा संशोधित फाइनल डिक्री दिंनाक 30–11–2016 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थीगण निम्न आधारों पर यह अपील पेश की गई –

1 अंतिम आदेश दिनांक 18.05.2016 एवं संशोधित फाईनल डिक्री दिनांक 30.11.2016 कानून के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

2 अंतिम आदेश दिनांक 18.05.2016 एवं संशोधित फाईनल डिक्री दिनांक 30.11.2016 प्राकृतिक न्याय के सिद्वात के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

3 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर उपस्थित दस्तावेजों का उचित मुल्याकंन करने में बहुत बडी भूल की है। जिससे अंतिम आदेश दिनांक 18.05.2016 एवं संशोधित फाईनल डिक्री दिनांक 30.11.2016 निरस्तनीय है।

4 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के बिना सूचना दिये बिना अपीलार्थीगण की उपस्थिति में राजस्व लोक अदालत कुण्डला मे अंतिम आदेश दिनांक 18.05.16 पारित करने में बडी भूल की है। जिसमें अपीलार्थी संख्या 4 पार्वतीबाई पुत्री जयराम, मृतक जयरामजी की उत्तराधिकारी नही मानकर बहुत बडी भूल की है।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

5 भवरबाई पत्नि जयराम का निधन हो जाने से ना तो उनके वारिसानों को पक्षकार बनाया गया ना ही भवरबाई के हिस्से के बारे में उचित आदेश पारित किये। निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री खारिज होने योग्य है।

6 अधीनस्थ न्यायालय कब्जे के सम्बंध में बिना किसी प्रमाण के मात्र प्रतिप्रार्थी नं.1/वादी के कथन पर विश्वास कर बहुत बडी भूल की है।

7 प्रतिप्रार्थी नं.1/वादी द्वारा प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.15 जारी होने के बावजूद भी वादग्रस्त आराजी में से पुर्व से दर्ज 1/5 हिस्से को प्रतिप्रार्थी नं.2 बाबूलाल आत्मज गणेशराम को बिना किसी कब्जे के जर्ये रजिस्टर्ड दिनांक 03–08–16 को बैचान कर दिया तथा प्रतिप्रार्थी नं.2 का नाम दौराने वाद बिना में पक्षकार बनाये नामान्तरण सं. 897 निर्णय दिनांक 23.12.2016 से खाते मे दर्ज होने से प्रतिप्रार्थी नं. 2 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

8 हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी को अंतिम आदेश दिनांक 18.05.2016 एवं संशोधित फाईनल डिक्री दिनांक 30.11.2016की जानकारी देने पर अपीलार्थीगण को जानकारी में आने पर निर्णय एवं अंतिम आदेश दिनांक 18.05.16 एवं संशोधित फाईनल डिक्री दिनांक 30.11.16 को प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की है अपीलार्थी को जानकारी नही होने से समय पर अपील प्रस्तुत नही कर सके अपीलार्थी की भूल सद्भावना पर आधारित है।

दोनों अपीलें के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलं करने के 1 माह पूर्व हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 के अनुसार वादग्रस्त आराजी का विभाजन आदेश एवं संशोधित आदेश जारी किया जो विधिपूर्वक किया गया है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 61/2018 एवं 62/2018 खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.10.2015 एवं निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

18–05–16 तथा संशोधित फाइनल डिकी दिनांक 30–11–2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 61/2018

1– तेजनारायण आत्मज जयराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी, कुण्डला हाल मुकाम पचपहाड तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राज0
2– मनोहरला आत्मज जयराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी, कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
3– कृष्णाबाई पुत्री जयराम, पत्नि परमेश्वर जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, हाल मुकाम निपानिया राजगुरू तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश
4– पार्वतीबाई पुत्री जयराम, बैवा रामचन्द्र, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, हाल मुकाम खजूरी का खेडा तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश
5– गोविन्द आत्मज हेमशंकर, जाति ब्राहम्ण I, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
6– विशाल आत्मज हेमशंकर, आत्मज हेमशंकर, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
7– मधुबाला पुत्री हेमशंकर, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0
8– शकुन्तलाबाई बैवा हेमशंकर, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0

.... **अपीलांट**

बनाम

1– कन्हैयालाल आत्मज जयराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0
2– बाबूलाल आत्मज गणेशराम, जाति तेली, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0
3– श्रीमान तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

.... **रेस्पोडेंट**

अपील संख्या 62/2018

1– तेजनारायण आत्मज जयराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी, कुण्डला हाल मुकाम पचपहाड तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राज0
2– मनोहरला आत्मज जयराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी, कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
3– कृष्णाबाई पुत्री जयराम, पत्नि परमेश्वर जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, हाल मुकाम निपानिया राजगुरू तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश
4– पार्वतीबाई पुत्री जयराम, बैवा रामचन्द्र, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, हाल मुकाम खजूरी का खेडा तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश
5– गोविन्द आत्मज हेमशंकर, जाति ब्राहम्ण I, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0
6– विशाल आत्मज हेमशंकर, आत्मज हेमशंकर, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
7– मधुबाला पुत्री हेमशंकर, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0
8– शकुन्तलाबाई बैवा हेमशंकर, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0 .... **अपीलांट**

1– कन्हैयालाल आत्मज जयराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0
2– बाबूलाल आत्मज गणेशराम, जाति तेली, निवासी कुण्डला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज0
3– श्रीमान तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. <u>61/2018 व 62/2018</u> एवं नाराजगी डिकी अदालत –**<u>उपखण्ड अधिकारी, गंगधार</u>**
मु.द.नं. /दावा/2014
प्राथमिक डिकी दिनांक 28.10.2015 एवं
फाईनल डिक्री दिनांक 18.05.2016
संशोधित फाईनल डिक्री दिनांक 30.11.2016

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

<u>दावा बाबत</u>

माह अपील व तारीख 20 माह 11 सन् 2020

हाजरी श्री विनोद व्यास अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

दोनों अपीलें खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.10.2013 एवं निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 18–05–16 तथा संशोधित फाइनल डिक्री दिनांक 30–11–2016 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **08** माह **12** सन् **2020** को जारी किया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.

मोहर